



220/1

दस्तावेज 2286709

2286710

नव धराना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-220001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

पत्रांक : 2451 / 05 / 76 / एक / 2014-15
सेवा में,

दिनांक : ०४ सितम्बर 2015

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद-सन्तकबीरनगर।

विषय : वित्तीय वर्ष 2015-16 में सूडा द्वारा आपके जनपद (डूडा) को अनुसूचित जाति बाहुल्य बस्तियों में मूलभूत सुविधा योजना (एससीपी) में स्वीकृत परियोजनाओं की धनराशि का प्रेषण।

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में आपके जनपद को अनुसूचित जाति बाहुल्य बस्तियों में मूलभूत सुविधा योजना (एससीपी) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि जनपद को अवमुक्त कर दी गयी है।

धनराशि का प्रेषण (लाख ₹ में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
एक्सिस बैंक	915010025732751	IFSC Code UTIB0001914	330.563

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	एससीपी-83	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	जनपद को प्रेषित की गयी धनराशि (द्वितीय किस्त)
1	सन्तकबीरनगर	एससीपी-83	न०पा०प० खलीलाबाद	मो० मटिहना में मुख्य मार्ग से मजार मार्ग पर इन्टरलाकिंग रोड, रिटेनिंग वाल का निर्माण कार्य।	13.249
2	सन्तकबीरनगर	एससीपी-83	न०पा०प० खलीलाबाद	मो० गान्धीनगर में जगदीस अनु० के घर से राजन के घर मार्ग पर इन्टरलाकिंग रोड, रिटेनिंग वाल निर्माण कार्य।	8.139
3	सन्तकबीरनगर	एससीपी-83	न०पा०प० खलीलाबाद	मो० बरदहिया में मकालू चौहान अनु० के मकान से नाला तक मार्ग पर इन्टरलाकिंग रोड, रिटेनिंग वाल निर्माण कार्य।	9.755
4	सन्तकबीरनगर	एससीपी-83	न०पा०प० खलीलाबाद	मो० तितौवा में मोहित के दुकान से हीरालाल बिद्यालय तक सू टाइप नाली निर्माण कार्य।	31.075
5	सन्तकबीरनगर	एससीपी-83	न०पा०प० खलीलाबाद	मो० तितौवा में चौरशिया के मकान से एवीएम. होते मुख्य मार्ग तक इन्टरलाकिंग रोड, रिटेनिंग वाल का निर्माण कार्य।	34.122
6	सन्तकबीरनगर	एससीपी-83	न०पा०प० खलीलाबाद	मो० बरदहिया में गुड्डु हरिजन के मकान से बैजनाथ के मकान मार्ग पर इन्टरलाकिंग रोड, रिटेनिंग वाल निर्माण कार्य।	13.071
7	सन्तकबीरनगर	एससीपी-83	न०पा०प० खलीलाबाद	मो० गान्धीनगर में अलगू चौहान के मकान से सोनकरटोला मार्ग पर इन्टरलाकिंग रोड, रिटेनिंग वाल निर्माण कार्य।	13.687
8	सन्तकबीरनगर	एससीपी-83	न०पा०प० खलीलाबाद	वार्ड नं० 24 औ. नगर में के.एम.डी. पर राजेन्द्र हरिजन के घर से तपेसर हरिजन एवं जमील के घर से हरी हरिजन के घर मार्ग पर नाला निर्माण कार्य।	35.168
9	सन्तकबीरनगर	एससीपी-83	न०पा०प० खलीलाबाद	वार्ड 24 में मेन रोड से उत्तर महेन्द्र हरिजन के घर मार्ग पर इन्टरलाकिंग रोड, रिटेनिंग वाल का निर्माण कार्य।	34.723
10	सन्तकबीरनगर	एससीपी-83	न०पा०प० खलीलाबाद	दगहिया में अशोक के मकान से मुख्य मार्ग तक इन्टरलाकिंग रोड, रिटेनिंग वाल का निर्माण कार्य।	22.214



330/2

दूरभाष - 2286709

2286710

नया योजना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

क्र० सं०	जनपद का नाम	एससीपी-83	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	जनपद को प्रेषित की गयी धनराशि (द्वितीय किस्त)
11	सन्तकबीरनगर	एससीपी-83	न0पा0प0 खलीलाबाद	वार्ड 24 में मेन रोड से दक्षिण लालमन कन्नौजिया, के मकान से शिव शंकर हरिजन के घर मार्ग पर इन्टरलाकिंग रोड, रिटेनिंग वाल का निर्माण कार्य।	32.136
12	सन्तकबीरनगर	एससीपी-83	न0पा0प0 खलीलाबाद	के.एम.डी. रोड पर राजेन्द्र सोनकर के दुकान से अनु0 बस्ती सोनकरटोला मार्ग पर इन्टरलाकिंग रोड, रिटेनिंग वाल का निर्माण कार्य।	25.666
13	सन्तकबीरनगर	एससीपी-83	न0पा0प0 खलीलाबाद	वार्ड न0 24 औ. नगर में के.एम.डी. से महेन्दर हरिजन के घर मार्ग पर नाला निर्माण कार्य।	21.681
14	सन्तकबीरनगर	एससीपी-83	न0पा0प0 खलीलाबाद	मो0 तितौवा में विनोद के घर से ओंकार आदि के घर मार्ग पर इन्टरलाकिंग रोड, नाली, रिटेनिंग वाल का निर्माण कार्य।	19.509
15	सन्तकबीरनगर	एससीपी-83	न0पा0प0 खलीलाबाद	मो0 तितौवा में चौरसिया टेन्ट हाउस से यादव का मकान होते रामनाथ के मकान मार्ग पर इन्टरलाकिंग रोड, रिटेनिंग वाल, नाली का निर्माण कार्य।	16.368
	योग				330.563

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय एससीएसपी योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:-

- 1- उ0प्र0 सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी0सी0 रोड अथवा इन्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्वीकृत डी0पी0आर0/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जाये। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।
- 2- स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।
- 3- प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्यक प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।
- 4- अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 5- स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- 6- प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।



330/3

दस्तावेज- 2286709
2286710

नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ- 226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

- 7- परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख-रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।
- 8- योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2015-16 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- 9- उक्त धनराशि डूडा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य कमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।
- 10- अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा, अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 11- शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष 50 प्रतिशत की अवशेष धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि एवं द्वितीय किस्त में 20 प्रतिशत की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. अधि० अगियन्ता-सूडा
3. कम्प्यूटर सेल-सूडा।
4. लेखा विभाग-सूडा।

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक